कार्यालय छावनी परिषद, सागर

54, मॉल रोड, सागर छावनी, सागर म.प्र.–470001

निविदा सूचना

कार्य का नामः– **छावनी क्षेत्र में नाला मरम्मत का कार्य।**

क्र.	विवरण	पेज
	भाग ''अ'' **(निविदा के कागजात)**	
1.	निविदा सूचना	2
2.	कार्य का विवरण	3
3.	बोली लगाने वालो के लिए निर्देश	4
4.	कागजात जो निविदा के साथ तकनीकी बोली के लिए प्रस्तुत होना है।	4–5
5.	साधारण सूचना	6–8
6.	साधारण शर्ते एवं अवस्थाऐं	9–21
7.	फर्म/एजेन्सी द्वारा दिया गया वचन पत्र	22
8.	कम्पनी/एजेन्सी/फर्म की जानकारी	23
	भाग ''ब''	
1.	निविदा तकनीकी बोली	24–25
2.	सूची ''ब'' एवं ''स''	26
	भाग ''स''	
1.	निविदा – वित्तीय बोली	1

दिनांकः / /2021

सही/–

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, सागर

निविदा फार्म की कीमत **रू. 2500/–**

कार्यालय छावनी परिषद, सागर भाग ''अ''

निविदा सूचनाः– **छावनी क्षेत्र में नाला मरम्मत का कार्य।**

निविदाओं का निमंत्रणः– छावनी परिषद सागर जो एक स्वायत्र निकाय रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है, के द्वारा निम्नलिखित कार्यो के लिए इच्छुक शासकीय/अर्धशासकीय संगठन/फर्मस से जो राज्य या केन्द्रीय सरकार विभागों से पंजीकृत है, से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	कार्य का नाम	निविदा फार्म की कीमत	अग्रिम राशि	अनुमानित लागत
1.	छावनी क्षेत्र में नाला मरम्मत का कार्य।	रू. 2500/–	रू. 50,000/–	रू. 25,00,000/–

निविदा दस्तावेजों को वेबसाईट www.eprocure.gov.in पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

कोई भी जानकारी मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, सागर, 54, मॉल रोड, सागर से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

निविदा प्रक्रिया की अनुसूची निम्नानुसार है।

1.	निविदा सूचना के प्रकाशन की दिनांक व समय	03/02/2021 को 11:00 बजे से
2.	निविदा कागजात डाउनलोड करने की दिनांक व समय	03/02/2021 को 11:00 बजे से
3.	निविदा जमा करने की आरंभिक दिनांक व समय	03/02/2021 को 11:00 बजे से
4.	निविदा जमा करने की समापन दिनांक व समय	24/02/2021 को 05:30 बजे तक
5.	बोली खोलने की दिनांक व समय	26/02/2021 को 11:00 बजे से

किसी भी तकनीकी समस्या जो वेबसाईट या सरवर आदि से संबंधित होगी, उसके लिए छावनी परिषद सागर जिम्मेदार नहीं रहेगा।

उस निविदाकर्ता से कोई आगे विचार विमर्श/दखलनदाजी स्वीकृत नहीं की जावेगी, जिसकी निविदा अयोग्य घोषित हो गई है। छावनी परिषद सागर के पास किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार बिना किसी कारण बताए सुरक्षित रहेगा।

छावनी परिषद सागर कोई भी किसी भी प्रकार का दावा जो भी हो तथा खर्चो की मांग का दावा जो निविदा कागजातों के तैयार करने में हुआ है, या अन्य खर्चों पर तब तक ग्रहण नहीं किया जावेगा जब तक संविदा का निर्णय न हो जावे।

आगे के विवरण हमारी वेबसाईट www.cbsaugor.org पर दिनांक 03/02/2021 को 11:00 बजे से देखे जा सकेंगे।

सही/–
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, सागर

कार्यालय छावनी परिषद, सागर

54, मॉल रोड, सागर छावनी, सागर (म.प्र.) – 470001

1.	कार्य का नाम	छावनी क्षेत्र में नाला मरम्मत का कार्य।
2.	निविदा सूचना क्रमांक	CBS-SE-2021-22-Nallah-I
3.	निविदा कागजातों को डाउनलोड करने की दिनांक व समय	03/02/2021 को 11:00 बजे से
4.	निविदा जमा करने की आरंभिक दिनांक व समय	03/02/2021 को 11:00 बजे से
5.	निविदा जमा करने की समापन दिनांक व समय	24/02/2021 को 05:30 बजे तक
6.	बोली खोलने की दिनांक व समय	26/02/2021 को 11:00 बजे से
7.	निविदा फार्म की कीमत	रू. 2500/–
8.	अग्रिम राशि	रू. 50,000/–
9.	अनुबंध का समय	01 वर्ष
10.	कार्य की अनुमानित लागत (जो किसी भी सीमा तक बढ़ या घट भी सकती है)	रू. 25,00,000/–
11.	सुरक्षा निधि	रू. 1,25,000/–

नोटः– निविदादाता सभी आवश्यक कागजातों की हार्ड कॉपी (वित्तीय बोली को छोड़कर) निविदा खोलने की दिनांक को या उसके पहले इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सही/–
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, सागर

कार्यालय छावनी परिषद, सागर

निविदा सूचनाः– **छावनी क्षेत्र में नाला मरम्मत का कार्य।**

सूची ''अ''
बोली लगाने वाले के लिए निर्देश

1. कृप्या यह कागजात डाउनलोड करें और सावधानीपूर्वक पढ़े।
2. समस्त अनुलग्नक पर हस्ताक्षर करें जहां हस्ताक्षर के लिए जगह उपलब्ध की गई है।
3. समस्त पेजों/कागजातों पर हस्ताक्षर करने के बाद अनुक्रम से पेज नम्बर देते हुए स्केन करें।
4. सहायक कागजात भी स्केन करें।
5. निविदा के समस्त कागजात (पेज नं. 1 से 26) तथा सहायक कागजात, ठेकेदार/अधिकृत प्रतिनिधि/फर्म के पार्टनर द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए। अन्यथा निविदा बिना किसी वार्ता के निरस्त कर दी जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं निविदादायक की होगी।
6. स्केन पेज की PDF फाईल का सर्जन करें।
7. लोगिन करने के लिए www.eprocure.gov.in निविदा में खोलना।
8. सभी अंक शब्दों में भी उल्लेखित होना चाहिए।
9. सहायक PDF फाईल के कागजात बोली लगाने वाले द्वारा हस्ताक्षरित या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित कर सही ढंग से अपलोड करें।

तकनीकी बोली के लिए निविदा के साथ जो कागजात प्रस्तुत करना है

1. निविदा की कीमत रू. 2500/– की RTGS/NEFT की लेनदेन रसीद की प्रतिलिपि।
2. अमानत राशि रू. 50,000/– की RTGS/NEFT की लेनदेन रसीद की प्रतिलिपि।
3. पैन कार्ड की प्रतिलिपि।
4. EPF पंजीयन की प्रतिलिपि यदि नियमानुसार लागू हो तो।
5. ESIC पंजीयन की प्रतिलिपि यदि नियमानुसार लागू हो तो।
6. श्रम लाइसेंस की प्रतिलिपि यदि नियमानुसार लागू हो तो।
7. इनकम टेक्स रिटर्न पिछले तीन वर्षो की (2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) प्रतिलिपि।
8. CPWD, PWD, MES, रेलवे, नगरपालिका परिषर्द, जल निगम, जल संसाधन, छावनी परिषद या कोई शासकीय विभाग (केन्द्रीय/राज्य) आदि से पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
9. जी.एस.टी. का पंजीकरण।
10. यदि कागजात अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित है, तो मुखतारी अधिकार पत्र।
11. रूपये 1000/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हलफनामा एजेन्सी द्वारा वचन पत्र देते हुए अनुलग्नक (1) के अनुसार।
12. अनुलग्नक (2) के अनुसार कंपनी/एजेन्सी के फर्म की जानकारी।
13. मशीनरी आदि जो स्वयं की या किराए की हो उसकी सूची।

14. पूर्ण किए गए कार्यो की सूची संगठन जिसके लिए निस्पादित किए ठेके की अनुमानित राशि आदेश की तारीख तथा सिविल कार्यो को पूर्ण करने की तारीख एवं विभाग द्वारा प्रदर्शन रिपोर्ट (अनुभव प्रमाण पत्र जो कि कार्यपालन यंत्री या समकक्ष अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है)।
15. जो कार्य चल रहे है उनका विवरण, ठेके की कीमत एवं सिविल कार्य के लिए बाकी का कार्य।
16. निविदा खोलने के लिए कम से कम पात्रता मापदंड से संबंधित कागजात जो पेज नं. 08 पैरा नं. 17 पर दर्शित है।
17. निविदादाता पिछले 03 वर्षो का औसत कारोबार कार्य के अनुमानित कीमत की 30% के बराबर होना चाहिए।
18. निविदादाता को इस आशय का हलफनामा देना होगा कि, उसे किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संगठन निगम द्वारा बोली जमा करने के दिन प्रतिबंधित या काली सूची में नहीं दर्शाया गया है।
19. अन्य विभागों या एजेन्सी जैसे कि बैंक बगैरह में देनदारी के संबंध में हल्फनामा।

<u>नोटः–</u>

(अ) यदि खाली निविदा जमा की गई तो वह अस्वीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगी।
(ब) निविदा कागजात यदि उपरोक्त दर्शाए हुए कागजातों के साथ नहीं दिए तो वह अस्वीकृत होने के उत्तरदायी होगें।
(स) केवल शासकीय/अर्धशासकीय/यू.एल.बी. के लिए किए गए कार्यो को वैध माना जावेगा।

सही/–
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, सागर

साधारण जानकारी/सूचना

1. निविदा की कीमत अनुमानित है एवं कार्यो के अनुसार अलग अलग करने के लिए उत्तरदायी है।
2. तकनीकी बोली (भाग–ब) एवं वित्तीय बोली (भाग–स) वेबसाईट www.eprocure.gov.in पर सॉफ्ट कॉपी दिनांक 03/02/2021 को 11:00 बजे से देख सकेगें।
3. ऑनलाईन तकनीकी बोली (भाग–ब) में सूची ''अ'' में दर्शाए गये कागजातो/प्रमाणपत्र के साथ होना चाहिए।

नोटः–

(अ) उपरोक्त सभी कागजात तकनीकी बोली (भाग–बी) के साथ अपलोड होना चाहिए, अन्यथा वित्तीय बोली ग्रहण नहीं की जावेगी और पूर्ण रूप से अस्वीकृत मानी जावेगी।

निविदा की कीमत एवं अमानत राशि को RTGS/NEFT द्वारा जमा करना, RTGS/NEFT इस कार्यालय के खाते में दिनांक 24/02/2021 को 05:30 बजे तक जमा हो जाना चाहिए, अन्यथा निविदा अस्वीकृत मानी जावेगी।
RTGS/NEFT जमा करने के लिये बैक खाते का विवरण इस प्रकार है।

Name	Chief Executive Officer Cantonment Board, Saugor
Account No.	09532010019240
Bank Name	Punjab National Bank
Branch	Cantonment Board Campus, Saugor Cantt. Sagar 470001
IFSC Code	PUNB0095310
MICR Code	470024008

(ब) सभी कागजात/प्रमाणपत्र स्वयं द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

4. वित्तीय बोली (भाग–स) केवल योग्य निविदादाता की खोली जावेगी जिसने तकनीकी बोली (भाग–ब) में चाहे गए कागजातो के साथ जैसा कि उपरोक्त पैरा 3 में दर्शित है, जमा किए होगें।

5. ई–निविदा वेबसाइट www.eprocure.gov.in पर दिनांक 03/02/2021 को 11:00 बजे से 24/02/2021 को 05:30 बजे तक डाउनलोड की जा सकेगी। ई–निविदा का तकनीकी मूल्यांकन दिनांक 26/02/2021 को 11:00 बजे से किया जावेगा एवं वित्तीय बोली उन निविदादाताओ की खोली जावेगी जो योग्य पाये जावेगें।

6. ठेकेदार/फर्म जो ई–निविदा भरने के इच्छुक है, उनको सलाह दी जाती है कि वे स्वयं को इलेक्ट्रानिक रूप से कथित वेबसाइट पर पंजीयन कराऐं, जिसके लिए वे क्लास–सी प्रमाण पत्र (यदि अभी तक प्राप्त न किया हो तो) प्रमाणित एजेन्सी से प्राप्त करें, जो भारत सरकार

से अधिकृत है तथा ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा निविदा जमा करने में दक्ष है, जिससे निविदा सही समय पर अंतिम तिथि को जमा की जा सकें। निविदा खोलने की अंतिम तिथि को बढ़ाने के आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। ऑनलाईन द्वारा निविदा जमा करने में भागीदारी लेने के लिए प्रक्रिया को हमारी वेबसाईट www.cbsaugor.org पर देख सकते है।

7. छावनी परिषद/मुख्य अधिशासी अधिकारी के पास बिना किसी कारण बताये एक या सभी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

8. सफल निविदादाता की अमानत जमा राशि रू. 50,000/– जमानत राशि में समायोजित की जा सकती है एवं बाकी की राशि एफ.डी.आर. के रूप में जमा करनी होगी, अन्य निविदादाताओं की अमानत जमा राशि उनके आवेदन करने पर तथा सफल निविदादाता को कार्य का आदेश पारित कर देने के उपरांत वापस की जा सकेगी।

9. यह माना जावेगा कि निविदादाता को संपूर्ण कार्य की पूर्ण जानकारी है, जो संबंधित कागजात एवं कार्य करने की शर्तो से संबंध रखती है।

10. निविदादाता द्वारा निविदा जमा करने से तात्पर्य है कि उसने निविदा पढा, समझा तथा निविदा की शर्तो से सहमत होते हुये जो कि इस निविदा के निविदा सूचना की शर्ते अनुबंध का हिस्सा मानी जावेगी, जो छावनी परिषद सागर तथा सफल निविदादाता के बीच सम्पादित होगा।

11. छावनी परिषद सागर निम्न दर वाली निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देगा।

12. यदि कोई व्यक्ति द्वारा निविदा जमा की गई और वह छावनी परिषद सागर का ऋणी पाया गया तो वह निविदा ग्रहण नहीं की जावेगी।

13. यदि निविदा फर्म द्वारा जमा की जाती है तो वह फर्म के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और किसी सदस्य की गैरहाजरी की दशा में यह उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जो ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है।

14. सभी मरम्मत के कार्यो तथा मूल(नये) कार्यो का निरीक्षण तृतीय पक्ष द्वारा किया जावेगा, जिसे छावनी परिषद नियुक्त करेगा और जिसका व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा। तृतीय पक्ष की ओर से संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के उपरांत ही अंतिम भुगतान किया जावेगा।

15. **मूल्यांकन मापदंडः–** एम.ई.एस. एस.एस.आर 2010 पर प्रतिशत एवं सूची में नहीं दर्शाई गई वस्तु के रेट अंको तथा अक्षरो में भरा जावें, जिससे किसी प्रकार की विशंगति न होने पावे। यदि कोई विशंगति इस बारे में पाई जाती है तो प्रतिशत/रेट जो अक्षरों में भरी होगी वही मान्य की जावेगी।

16. ठेकेदार एम.ई.एस. एस.एस.आर 2010 के अनुसार रेट भरते समय सावधानी बरतेगा और एक बार निविदा स्वीकृत हो जाने के बाद यदि कोई प्रतिनिधित्व रेट बढ़ाने के बारे में आता है तो उसे किसी भी परिस्थितियों में ग्रहण नहीं किया जावेगा।

17. निविदा खोलने की कम से कम पात्रता का मापदंड निम्नानुसार होगा, केवल वे फर्म जो व्यक्तिगत क्षमता रखते हुए तथा निम्नलिखित मापदंड को पूरा करते हुए निविदा मे प्रतिशत/रेट भेरेंगेः–

(1) पिछली तीन वित्तीय वर्षो में पूरा होना चाहिए	(क) एक इसी प्रकार का कार्य, जो कम से कम विज्ञापित निविदा की कीमत का 50% के बराबर हो। अथवा (ख) दो इसी प्रकार के कार्य, जो कम से कम विज्ञापित निविदा की कीमत के 30% के बराबर हो। अथवा (ग) तीन इसी प्रकार के कार्य, जो कम से कम विज्ञापित निविदा की कीमत के 20% के बराबर हो। **नोटः– इसी प्रकार के कार्य से तात्पर्य है कि लोक निर्माण कार्य जो नाला, नाली, पुलिया एवं भवन निर्माण/मरम्मत कार्य से संबंधित हो।**
(2) कुल ठेके की राशि जो पिछले 03 वित्तीय वर्षो में प्राप्त हुई हो।	विज्ञापित निविदा की कीमत का कम से कम 100% की कीमत का होना चाहिए। (बैलेन्स शीट संलग्न करें।)

नोटः–

ठेकेदार/फर्म को निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करना चाहिए।

(अ) सरकारी नियोक्ता की ओर से प्रमाण–पत्र।

(ब) अंकेक्षित बेलेन्स शीट कंपनी की जो चारर्टड अकाउन्ट द्वारा प्रमाणित हो।

(स) इनकम टैक्स विभाग में जमा की गई रिटर्न जो उनके दावें के पक्ष में सी.ए. द्वारा प्रमाणित हो।

(द) पिछली तीन वित्तीय वर्षो में प्राप्त राशि कुल ठेके की राशि के कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए, जो ऑडिट बेलेन्स शीट के अनुसार तथा सी.ए. द्वारा प्रमाणित हो। यदि पिछले वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष की ऑडिट की हुई बेलेन्स शीट उपलब्ध नहीं हो तो कारोबार के प्रमाण में ठेके की राशि जो प्राप्त हुई हो, तो वह प्रमाण पत्र जो सी.ए. द्वारा प्रमाणित किया हो, जमा होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से कम से कम भुगतान के प्रमाण–पत्र जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार, केन्द्रीय पी.एस.यू./राज्य पी.एस.यू. व अन्य शासकीय एजेन्सी द्वारा विज्ञापित निविदा कीमत का कम से कम 100% के बराबर की राशि का, जमा करें।

(ई) छावनी परिषद, सागर में पंजीकृत श्रेणी अनुसार ठेकेदारों/फर्मो को अनुभव एवं टर्नओवर में 50% की छूट रहेगी, उससे अधिक के लिए कोई दावा नहीं माना जावेगा।

सही/–
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, सागर

सामान्य नियम एवं शर्ते

अ. नियमों की परिभाषाः–

(1) सी.बी.एस मतलब ''छावनी परिषद, सागर'' उनका कार्यालय मॉल रोड सागर छावनी, सागर (म.प्र.) जिला सागर एम.पी. पर स्थित है, दूरभाष क्रमांक 07582–226222

(2) सी.ई.ओ. का मतलब ''मुख्य अधिशासी अधिकारी''।

(3) ठेकेदार/एजेन्सी/फर्म का मतलब बोली लगाने वाला जिनकी बोली छावनी परिषद सागर द्वारा स्वीकृत होगी। इसमें सफल बोली लगाने वाला कानूनी प्रतिनिधि वारिस तथा ऐसा व्यक्ति जिसे अनुमति दी गई हो, शामिल है।

(4) EMD मतलब, अमानत राशि जमा।

(5) सिक्यूरिटी डिपोजिट का मतलब जमानत राशि जो दिए गए ठेके के विरूद्ध जमा की जाती है।

(6) ठेकेदार/बोलीदाता मतलब कोई भी आवेदक जो इन कागजातो के संदर्भ में निविदा जमा करेगा।

ब. रसीद एवं निविदा खोलनाः–

(1) निविदाऐं भरकर निश्चित दिनांक एवं समय पर जमा होगें एवं निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोले जावेगें। बोली लगाने वाले या उनके प्रतिनिधि चाहें तो निविदा खुलने के समय उपस्थित हो सकेगें।

(2) यदि निविदा दूसरे दिन खुलती है तो निविदा खुलने का समय वहीं रहेगा, तदानुसार सूचित किया जावेगा।

(3) मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद सागर को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि निविदा पाने एवं खोलने का समय बढ़ा सकेगा या निविदा सूचना बिना किसी कारण बताए वापस ले सकेगा, ऐसी स्थिति में निविदादाता छावनी परिषद सागर से किसी भी प्रकार का मुआवजा पाने का अधिकारी नहीं रहेगा।

स. निविदा तैयार करनाः–

(1) बोली लगाने वाला/ठेकेदार शर्तो एवं नियमों से जो निविदा सूचना में दर्शाए है, से संतुष्ट होने के बाद कागजात अपलोड करेगा।

(2) रेट/प्रतिशत, अपलोड की गई Excel फाईल में कोट करेगा, रेट/प्रतिशत यदि किसी अन्य फर्म में कोट किये गए तो उन्हें ग्रहण नहीं किया जावेगा और निविदा निरस्त किए जाने योग्य रहेगी।

(3) निविदादाता, अग्रिम जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट www.cbsaugor.org.in पर आ सकते है और निविदा अपलोड कर सकेगें।

द. <u>साधारण नियम व शर्तेः–</u>

(1) जमानत राशि जो कार्य की कुल कीमत की 5% के बराबर है वह एफ.डी.आर के रूप में जमा करनी होगी, जमानत की राशि निविदा अवधि पूर्ण हो जाने के **03 साल बाद वापस** होगी। जमानत की राशि उपयंत्री की इस आशय की आख्या प्राप्त होने के बाद वापिस की जावेगी कि किए गए कार्य में वारंटी अवधि के दौरान कोई कमी/खराबी नहीं पाई गई है।

(क) मुख्य अभियंता, सैन्य अभियांत्रिकी सेवाएं, भोपाल के आदेश पर चल रहें प्रचलित दर से 15% कम तक कार्य योग्य रेट माना जावेगा, उससे अधिक कम रेट होने पर उतने प्रतिशत राशि अतिरिक्त जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी, जो कि कार्य पूर्ण होने के 03 माह बाद वापिस की जावेगी। (प्रचलित दरें कार्यालय में देखी जा सकती है)

(2) परिषद मटेरियल की कीमत में वृद्धि या किसी विशिष्ट सामान के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा और ठेकेदार स्वयं कार्य को रेट वर्क आर्डर तथा स्वीकृत रेट पर निष्पादित करने के लिए बाध्य रहेगा।

(3) ठेकेदार के आवेदन पर किए गए कार्य का 90% चालू भुगतान किया जा सकेगा।

(4) समस्त मरम्मत कार्य और मूल कार्य की जांच थर्ड पार्टी द्वारा किया जावेगा, जिसका भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा, अंतिम भुगतान थर्ड पार्टी द्वारा कार्य का सफल निरीक्षण करने के उपरांत किया जावेगा।

(5) कार्य की देखरेख उपयंत्री द्वारा की जावेगी।

(6) कार्यादेश, नियम व शर्ते व निविदा फार्म इस ठेके के अनुबंध के हिस्से माने जावेगें।

(7) ठेकेदार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो बांछित राशि का होगा उस पर करारनामा निष्पादित करेगा जो ठेकेदार की ओर से दो गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा एक सदस्य एवं उपाध्यक्ष छावनी परिषद सागर द्वारा हस्ताक्षरित होगा। यह करारनामा मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा। किसी भी प्रकार की वृद्धि की स्वीकृति अभियांत्रकी प्रभारी की रिपोर्ट आने पर मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत की जा सकेगी।

(8) ठेकेदार को अन्तिम भुगतान छावनी परिषद के उपयंत्री द्वारा कार्य के अनुमोदन देने के उपरान्त किया जावेगा। अन्तिम बिल कार्य पूर्ण होने पर कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र सी. ई.ओ. की ओर से प्राप्त होने पर 30 दिन के अंदर अग्रिम भुगतान के व अधिक भुगतान आदि के निष्पादन के उपरांत किया जावेगा। इस बारे में कोई भी मावजा ठेकेदार को नहीं दिया जावेगा।

(9) मुख्य अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे कार्य के विनिर्देशित को पूर्णतया तथा आवश्यक होने पर अभियन्ता के मतानुसार बदल दे तथा तदानुसार ठेकेदार को भुगतान किया जावेगा।

(10) निर्माण कार्य में कुल कुचल ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया जावेगा।

(11) ठेकेदार को उनके द्वारा बोली देने के पहले MES SSR 2010 का उल्लेख व सुधार का उल्लेख किया जावेगा। निविदा सूचना उल्लेखित देखे या न देखें, यह माना जावेगा कि निविदाता द्वारा उन्हें निविदा प्रस्तुत करने के पहले पढ़ा तथा नियम व शर्ते समझी गई है।

(12) साइट आर्डर बुक का रखरखाव ठेकेदार द्वारा किया जावेगा तथा उसे छावनी उपयंत्री या मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जावेगा।

(13) कार्य में उपयोग होने वाले सभी प्रकार की सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण IGEC सागर द्वारा या किसी अन्य एजेन्सी द्वारा होगा और उसकी राशि ठेकेदार के बिल में से काटी जावेगी।

(14) रेट खुल जाने के उपरांत निविदा वापिस लेने या कार्य का अनुबंध समय पर निष्पादन न करने की दशा में, अमानत राशि जप्त की जा सकेगी।

(15) निविदा फार्म सावधानी पूर्वक स्याही पेन या टाइपिस्ट द्वारा भरकर एवं प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर अपलोड होना चाहिए। निविदा फार्म स्केन होना चाहिए एवं अच्छा हो कि संपूर्ण निविदा फार्म की साफ्ट कॉपी PDF के फारमेट में तैयार कर वेबसाईट पर समुचित समय पर प्रस्तुत करें। निविदा फार्म निविदाकर्ता या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए । अधिकृत पत्र संलग्न होना चाहिए जो अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हो।

(16) टेंडर के सभी अनुलग्नक फर्म की सील के साथ निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

(17) असल कागजात जो निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत किए हो, वे टेंडर खुलने के बाद सफल निविदादाता से मांगे जा सकेगें।

(18) ठेकेदार/कंपनी/एजेन्सी जो निविदा प्रस्तुत कर रहे है तो यह माना जावेगा कि उन्होने टेंडर नोटिस के नियम, शर्ते पढ़ी, विचार की व मान्य की है। टेंडर स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के संबंध में मौखिक अथवा लिखित आवेदन स्वीकृत नहीं होगा।

(19) निविदाकर्ता की ओर से किसी भी प्रकार का छावनी परिषद पर किसी भी दबाव, प्रभाव डालने पर निविदा अस्वीकृत करने योग्य होगी।

(20) निविदा बिना किसी शर्त का होना चाहिए, बोली लगाने वाला केवल एक बोली लगा सकेगा। वही या समान बोली लगाने वाले की वैकल्पित बोली पर विचार नहीं किया जावेगा। इस दशा में फर्मो की बोली सिरे से खारिज कर दी जावेगी।

(21) ठेकेदार द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सामान को साईट पर इकट्ठा करना होगा या छावनी परिषद कार्यालय परिसर में सामान स्टोर का अनुमोदन छावनी परिषद उपयंत्री या मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

(22) जो भी सामग्री कार्य में उपयोग में लाई जावेगी, उनकी असल केश मेमो, वाऊचर कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा, जिनकी जांच की जा सकेंगी।

(23) मौका स्थिति की आवश्यकता के अनुसार कार्य की मात्रा कम व बढ़ सकती है, जिसके लिए ठेकेदार कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(24) मुख्य अधिशासी अधिकारी/अभियांत्रकी प्रभारी के निर्देशानुसार दमोह (चिमनी) सब क्लास बी ईटों या फ्लाई एश ईट उपयोग में लाई जावेगी।

(25) निविदा/कार्य की अनुमानित कीमत लगभग मार्गदर्शन के रूप में होगी और यह कीमत 50% तक परिषद/मुख्य अधिशासी अधिकारी के निर्देशानुसार बढ़ या घट सकती है, और इस संबंध में ठेकेदार का कोई दावा नहीं रहेगा।

(26) निविदा निर्धारित प्रारूप में जो पोर्टल www.eprocure.gov.in स्केन कॉपी के लेनदेन पावती RTGS/NEFT के साथ जमा होगी। यदि सफल बोली लगाने वाला प्रदर्शन गारंटी

राशि समयावधि में जमा न करने तथा ठेका अनुबंध का निष्पादित करने में असफल होने पर ठेकेदार द्वारा मुख्य अधिशासी अधिकारी पर गिरवी रखी गई अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी एवं द्वितिय न्यूनतम रेट देने वाले ठेकेदार को अनुबंध करने का प्रस्ताव परिषद के निर्णय अनुसार किया जा सकेगा। ठकेदार की ओर से असफल होने पर ठेकेदार पर प्रतिदिन रू. 5000/– प्रत्येक खराबी कार्य के लिए अर्थदण्ड लगाया जाएगा जो अंतिम एवं बंधित रहेगा। यह अर्थदण्ड अन्य कार्यवाही जो मुख्य अधिशासी अधिकारी करना चाहेगें के अतिरिक्त होगा।

(27) छावनी परिषद सागर कम से कम अथवा कोई निविदा स्वीकृत करने या सब से कम निविदा को अस्वीकृत करने का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं रहेगा, और निविदा स्वीकार करने के उपरांत ठेकेदार से ठेका वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। परिषद/अधोहस्ताक्षरकर्ता निविदा अंशता किसी कार्य को स्वीकृत करने का अधिकार भी सुरक्षित रखेगा।

(28) जो व्यक्ति किसी भी तरह परिषद में शामिल है तो उसकी निविदा अस्वीकृत होगी, व पिछले तीन वर्षो की आयकर रिटर्न की स्केन कॉपी निविदा के साथ जमा करें। अन्यथा ठेकेदार द्वारा जमा किया गया निविदा पर कोई विचार नहीं होगा।

(29) निविदा फार्म में रेट भरते समय बहुत सतर्क रहें, क्योकि निविदा एक बार स्वीकृत हो जाने के बाद, रेट कम करने के संबंध में कोई भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जावेगा।

(30) कार्यालय द्वारा निर्देशति अवधि के अन्दर ठेकेदार को कार्य पूर्ण करना होगा।

(31) निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि, उपकरण संयंत्र या सामान सप्लाई नहीं किया जावेगा और ठेकेदार उनका स्वयं प्रबंध करेगा। निविदा में जो रेट उद्धरण किये जावेगे उसमें उपकरण सयंत्र या सामान का भाड़ा T एवं P साईट सामान का रखना व उठाना, गिराया गया सामान को अलग करना व अन्य प्रबंधों का खर्चा, ट्रेड टैक्स, लोकल टैक्स, जल/बिजली प्रबंध के खर्चो को सम्मिलित होना चाहिए।

(32) कार्य के निष्पादन के लिए जो भी आवश्यक है, उसका प्रबंध ठेकेदार करेगा तथा उसका कोई अलग से भुगतान नहीं होगा। मशीनरी आदि ठेकेदार किराए पर लेगा और कार्य की राशि का भुगतान ठेकेदार करेगा। जमानत राशि उपरोक्त सामानों के उपलब्ध कराने के लिए T एवं P प्रस्तुत करेगा।

(33) निविदा भरने के पहले निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि, मार्केट में सामानों की कीमत में उतार चढ़ाव को भी ध्यान में रखें। ठेकेदार का कोई भी दावा इस संबंध में निविदा मंजूर करते समय तथा ठेके के दौरान स्वीकृत नहीं होगा।

(34) ठेकेदार को अग्रिम भुगतान मुख्य अधिशासी अधिकारी के स्वनिर्णयांगत से किया जा सकेगा।

(35) ठेकेदार मौके पर वे सभी उपकरण उपलब्ध कराएगा जैसे कि वजन काटा, स्नातक सिलेन्डर, मानक थर्मामीटर, आदि जिससे अभियंता प्रभारी फील्ड टेस्ट का संचालन कर यह सुनिश्चित करेगा कि गुणवत्ता निर्धारित विशिष्टता के अनुरूप है और इस बारे में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

(36) ठेकेदार से अपेक्षा की जावेगी कि वह कार्य पूरा करने के लिए दो शिफ्टो में कार्य करवाए और इस बारे में कोई क्लेम स्वीकृत नहीं किया जावेगा, यह जानते हुए भी कि

ठेकेदार को मजदूरों को और अन्य स्टाफ को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगाने पर श्रम विनियम तथा अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार भुगतान करना पड़ेगा।

(37) वर्षा या अन्य प्रकृतिक आपदा के कारण कोई नुकसान होता है तो, ठेकेदार को उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। इस संबंध में कोई भी दाबा स्वीकृत नहीं होगा।

(38) स्वीकृति अधिकारी छावनी परिषद सागर के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह कोई या कुल निविदा बिना किसी कारण बताए नामंजूर कर सकेगा।

(39) अंतिम बिल प्रस्तुत हो जाने के बाद कोई अग्रिम बिल ठेकेदार प्रस्तुत नहीं करेगा और यह माना जावेगा कि माफ और बुझ चुका है।

(40) छावनी परिषद द्वारा न कोई दायित्व होगा और न ही निविद स्वीकृत करने की कोई बाध्यता होगी, जब तक कि अंतिम अनुबंध कागजातों पर सक्षम अधिकारी व ठेकेदार के हस्ताक्षर नहीं हो जाते।

(41) ठेके की शर्तो को सख्ती से प्रभावित किया जावेगा और अधूरे काम के लिए कोई माफी नहीं दी जा सके, विशेषतौर पर यदि यह माफी इस आधार पर मांगी जावेगी कि कार्य ठेकेदार के लिए लाभदायक नहीं है।

(42) ठेकेदार द्वारा निविदा जमा करने से यह तात्पर्य है कि उसने यह नोटिस और ठेके की शर्तो को पढ़ा है, और जो कार्य होना है उसको गंजाइश विशिष्टता को जो एम.ई.एस एस.एस.आर. 2010 के अनुसार एस्टीमेट एवं चित्र के अनुरूप होना है, को संभव है।

(43) चित्र को छावनी परिषद कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

(44) निविदा स्वीकृत हो जाने पर निविदा कागजात जो जमा किए है वह अनुबंध के कार्य पार्ट के रूप में माने जावेगें।

(45) आईटम रेट साफ–साफ तथा अंको व शब्दों में भरा जाना चाएि। कोई विशेष रेट स्वीकृत नहीं होगी। निविदा जो सुधार होता है, तो उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, शशर्त अधूरा एवं बिना हस्ताक्षरित निविदा नामंजूर किया जावेगा। निविदा कागजातों के प्रत्ये कपेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना चाहिए। दरों में भिन्नता होने की दशा में जो अंको एवं शब्दों में लिखा है उनमे से निम्न दो पर विचार हो सकेगा।

(46) कार्य से संबंधित कोई भी जानकारी अर्थात इसके नियम तथा ड्राफ्ट अनुबंध आदि मुख्य अधिशासी अधिकारी से प्रतिदिन 15:00 बजे से 16:00 बजे तक अवकाश के दिनों को छोडकर प्राप्त की जा सकेगी।

(47) कार्य की मात्रा एवं चित्र परिवर्तन योग्य होगें, जो मुख्य अधिशासी द्वारा वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप होगें तथा स्वीकृति के बाद या कार्य की प्रगति के दौरान जब भी आवश्यक हो, परन्तु ठेकेदार द्वारा जो रेट दी गई है, उसमें कोई परिर्वतन नहीं होगा। तदानुसार ठेकेदार कार्य करने के लिए बाध्य रहेगा तथा किसी भी प्रकार का मावजा पाने के लिए पात्र नहीं होगा। यद्यपि, ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार का बदलाव या कार्य का निष्पादन ठेके में नहीं दर्शाया है बिना मुख्य अधिशासी अधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेगा।

(48) सिविय अन्यथा जो ठेके में निर्दिष्ट है के, सभी प्रश्नों पर जो निर्दिष्टों डिजाईन चित्र एवं निर्देश उल्लेखित कार्य की गुणवत्ता, या उपयोग में लाने जाने वाले सामान से संबंधित

है, उन पर निर्णय लेने के लिए मुख्य अधिशासी अधिकारी सागर पूर्व रूप से निर्णायक अधिकारी होगा।

(49) कोई भी निविदा जो टेंडर कागजातों में विनिर्देशित शर्तो में परिर्वतन या कोई नई शर्त के बारे में होगी तो वह नामंजूर करने योग्य रहेगी।

(50) टेंडर आईटमों में किसी भी प्रकार के सुधार या बदलाव जो प्रतिशत में कटौती या बढ़ोती करते हुए किए जाते है, तो ऐसे प्राप्त निविदाए नामंजूर की जावेगी।

(51) ठेकेदार पूर्ण कार्य या उसके हिस्से को मजबूत एवं संतोषप्रद कार्य प्रणाली तथा विशेषतौर पर तैयार किए गए विनिर्देशो के अनुसार सख्ती से निष्पादित करेगा। कार्य प्रारंभ करने के पहले कार्य में उपयोग होन वाले सामान का अनुमोदन अभियांत्रकी प्रभारी से लेना होगा, ठेकेदार कार्य को उसकी डिजाईन चित्र एवं कार्य से संबंधित विनिर्देश जो छावनी परिषद के उपयंत्री द्वारा हस्ताक्षरित के अनुरूप निष्पादित करेगा और उनके कार्यालय में दर्ज कराएगा एवं यदि ठेकेदार चाहे तो उक्त कागजातों एवं विनिर्देश की प्रतिलिपि अपने खर्चे पर करवा सकेगा। कार्य के रेट एवं विनिर्देश एवं नियम व शर्ते ठेकेदार द्वारा छावनी परिषद कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखे जा सकेंगे।

(52) एम.ई.एस. एस.एस.आर. संदर्भ के लिये छावनी परिषद कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपलबध है। एम.ई.एस. एस.एस.आर. 2010 इन कार्यो में लागू होगें जिसे ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

(53) निविदा जो फर्म द्वारा भरी जा रही है, वह प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। किसी सदस्य की अनुपस्थिति की दशा में उनकी तरफ वह व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा जो ऐसा करने के पावर ऑफ अटॉर्नी का अधिकार रखता हो।

(54) ठेकेदार मुख्य अधिशासी अधिकारी के निर्देशन में दिए गए विशेष विनिर्देशन तथा एम. ई.एस शेड्यूल रेट 2010 के अनुसार कार्य निष्पादित करेगा।

मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा बताई गई कार्य की खराबी को ठेकेदार समयावधि में अपने खर्चे पर ठीक करेगा। यदि ठेकेदार खराब कार्य को ठीक करने में असफल होता है तो उसे विभागी स्तर पर मुख्य अधिशासी अधिकारी ठीक कराने के लिए अधिकृत होगा और वह कार्य ठेकेदार के हर्जे खर्चे पर कराया जावेगा, जिसकी कीमत ठेकेदार के बिल या जमानत राशि से वसूल की जा सकेगी।

(55) जो मात्रा शेड्यूल में दर्शाई है वह अनुमानित है एवं ठेकेदार को किसी भी गलती के लिए क्षतिपूर्ती पाने का दावा करने की पात्रता नहीं होगी। वह स्वयं चाहे गए सामान की मात्रा निकालेगा।

(56) एडवान्स इनकम टेक्स, व्यवसाय कर, बिक्री कर व लेबर सेस आदि जो शासन द्वारा निर्धारित है को प्रत्येक एवं अंतिम भुगतान में से वसूला जावेगा, यद्यपि यदि कोई अन्य टैक्स शासन लगाता है तो उसके भुगतान के लिए ठेकेदार जिम्मेवार रहेगा।

(57) यदि कोई विवाद इस निविदा के संबंध में उत्पन्न होता है तो छावनी परिषद का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

(58) ठकेदार को अपना सही एवं पूरा पता निविदा पर लिखना होगा और सभी पत्र पाने की व्यवस्था करनी होगी, यदि कोई भी पत्र जो पंजीकृत पोस्ट द्वारा भेजा जाता है और

पहुंच से बाहर होने पर वापस प्राप्त होता है तो उसके लिए ठेकेदार जिम्मेवार रहेगा और उस पत्र के कथनों के अनुसार ठकेदार कार्यवाही करने के लिए बाध्य रहेगा।

(59) यदि ठेकेदार कार्य के निष्पादन के लिए बिजली का कनेक्शन छावनी परिषद के कनेक्शन से लेता है तो खर्च की गई बिजली के बिल का भुगतान छावनी परिषद को करेगा, लगातार बिजली देने का दायित्व छावनी परिषद नहीं लेगा और न ही कोई मावजा बिजली के रूकने या खराब होने पर देय होगा।

(60) यदि ठेकेदार विभाग से पानी लेता है तो उसका निर्धारित दर (3.75/– प्रति 1000/– रूपये के भुगतान पर) पर भुगतान छावनी परिषद को करेगा।

(61) **कार्य की गारंटी अवधि 03 वर्ष होगी** और इस अवधि में कोई खराबी बताई जाती है तो ठकेदार उसे ठीक कराएगा। मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्य ठीक करने के आदेश का पालन न होने की दशा में कार्य किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ठेकेदार के हर्जे खर्चे पर करवा लिया जावेगा और जो खर्च होगा उसे ठेकेदार की जमानत जमा राशि से वसूला जावेगा और यदि जमानत जमा राशि कम पड़ी तो इसे छावनी एक्ट 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत वसूला जावेगा।

(62) निविदा नोटिस की शर्ते एवं नियम को अनुबंध का हिस्सा माना जावेगा।

(63) कार्य पूर्ण हो जाने के बाद ठेकेदार वास्तविक भवन निर्माण, बिजली की लाईनें, जल पूर्ती एवं गंदे पानी के कार्य के नक्शे कार्यालय में जमा करेगा।

(64) बेईमानी की स्थिति में कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

(65) साईटः–

ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि वह मुख्य अधिशासी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से साइट के प्रकार, जमीन की स्थिति, सामान खरीदने की स्थानीय सहूलियत, प्रचलित लेबर रेट इत्यादि की जानकारी देगा, यह माना जावेगा कि ठेकेदार को साइटों की पूर्ण जानकारी है एवं सभी आवश्यक जानकारियों की सूचना प्राप्त है, जो ठेके के कार्य पर असर करेगा एवं ठेके की कार्यप्रणाली एवं विनिर्देशन को समझ लिया है।

सामान इकट्ठा करने तथा कार्य के निष्पादन के लिए की गई साइट को बिना आरक्षित एरिया माना जावेगा।

(66) जमानत एवं पेसेस आदिः–

ठेकेदार केबल भारतीय राष्ट्रीय व्यक्तियों की नियुक्ति उनके पूर्व चरित्र एवं निष्ठ ईमानदारी की जांच करने के बाद करेगा। इंजीनियर इनचार्ज के द्वारा नियुक्त किए गए एजेन्टो की लिस्ट एवं कार्य करने वाले व्यक्ति की लिस्ट से इंजीनियर इनचार्ज को इस आशय से संतुष्ट कराएगा वे वास्तव में प्रमाणित व्यक्ति है, वह यह सुनिशिचत करेगा कि कोई भी व्यक्ति का पिछता जीवन संदेहपूर्ण नहीं है और राष्ट्रीयता किसी भी प्रकार से कार्य से जुडी है।

(67) निविदा भरने के पहले निविदादाता को सलाह दी जाती है कि वे मार्केट रेट के उतार चढ़ाव तथा सामान की उपलबता को भी ध्यान में रखे। इस बारे में निविदा को स्वीकृत करते समय या ठेके के चलते कोई दाबा ग्रहण नहीं किया जावेगा।

(68) जल की सप्लाई परिषद द्वारा निर्धारित रेट पर, मुख्य अधिशासी अधिकारी के निर्णयानुसार की जावेगी। ठेकेदार अपनी सहुलियतानुसार पानी का स्टोर करने तथा मजदूरों

के लिए स्वयं का प्रबंध करेगा, ठेकेदार द्वारा यदि जल की सप्लाई छावनी परिषद द्वारा करवाई जाती है तो जल सप्लाई की कीमत कार्य कीमत के रू. 3.75 प्रति हजार रूपये के हिसाब से होगा, जिसकी कीमत ठेकेदार के बिल में से काटी जावेगी।

(69) न्यूनतम वेतनः—

ठेकेदार के पास स्थानीय विनियम के लिए कोई दावा नहीं रहेगा, उसे न्यूनतम वेतन के हिसाब से मजदूरो को भुगतान करना होगा।

(70) सामान एवं सैम्पलः—

(अ) ठेकेदार, सामान, औजार, सहायक उपकरणों वगैरह का नमूना पर्याप्त मात्रा एडवान्स में प्रस्तुत करेगा जिसे काम में लिया जावेगा और मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जावेगा जिस पर ठेकेदार एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर होगें। ये सेम्पल मुख्य अधिशासी अधिकारी/अभियांत्रकी प्रभारी के पास रखे जावेगें। जो विनिर्देशित के अनुसार होगें।

(ब) सामान का ब्रान्ड, फिटिंग बगैरह जो निर्माताओं के नाम के साथ अनुमोदित होते है और फर्मो के नाम जहां से सप्लाई प्राप्त होती है वह कार्य रजिस्टर में दर्ज होगी।

(स) जो सामान कार्य के निष्पादन में उपयोग में लाया जाता है वह अनुमोदित नमूनों की गुणवत्ता अनुसार होना चाहिए। भिन्नता पाई जाने की दशा मे ंसामान वापस किया जा सकेगा और ठेकेदार इस सामान को अपने हर्जे खर्चे पर मौके पर से हटाएगा। मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा दिए गए समयावधि में ठेकेदार पालन नहीं करता है तो ठेकेदार द्वारा नुकसानी रू. 500/— प्रतिदिन के हिसाब से देय होगी जब तक आदेश का पालन नहीं किया जाता।

(70) मालकाना ब्रान्डिड सामग्रीः—

मालकाना ब्रान्डिड सामग्री जैसे की गढे हुए सामान, मिश्रित रंग, पेन्ट्स आदि जिनकी गुणवत्ता कार्य मे ंसमावेश हो जाने के उपरांत चैक की जा सकती है और जब वह साईट पर इकट्ठी होती है तो मेजरमेंट बुक में दर्ज होती है तथा मुख्य अधिशासी अधिकारी एवं ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

ठेकेदार मालकाना ब्रान्डिड सामग्री उनके स्टाक लिस्ट से प्राप्त करेगा जहां अधिकृत स्टाक लिस्ट की नियुक्ति हुई है। ठेकेदार प्राप्ति के वाऊचर सामान की मात्रा एवं गुणवत्ता को दर्शाते हुए मुख्य अधिशासी अधिकारी की इस संतुष्टि के लिए की सामग्री विनिदेशन का पालन करता है। प्रस्तुत करेगा।

(70) ठेके के कागजातों पर हस्ताक्षरः—

जो व्यक्ति दूसरों की तरफ से या फर्म की तरफ से निविदा पर हस्ताक्षर करता है तो उसके साथ पावर ऑफ अटर्नी जो उसके पक्ष में एक व्यक्ति या सभी व्यक्ति द्वारा यह कथन करते हुए निष्पादित किया गया हो कि इसके पास ठेके से संबंधित सभी मुद्दों व विवाचन खण्ड सहित अन्य व्यक्तियों या फर्म को बांध लेने का अधिकार होगा। मालकाना के संबंध में निविदा के कागजातों पर हस्ताक्षरकर्ता इस आश्य का शपथ पत्र देगा कि वह व्यक्ति एकमात्र मालिक है।

(72) निविदादाता द्वारा की गई सभी इन्द्राज एक हाथ की होना चाहिए। मिटाने या अधिलेखन की अनुमति नहीं होगी। यद्यपि सभी सुधार व अधिलेखन पर निविदादाता द्वारा निविदा के सभी पेजों पर हस्ताक्षर होना चाहिए।

(73) निविदा में दरें अंको एवं शब्दों में लिखा जाना चाहिए। रेटों में परिवर्तन होने पर दो निम्न रेटों पर विचार किया जावेगा।

(74) सशर्त अधूरे तथा बिना हस्ताक्षरी निविदा फार्म निरस्त किए जाने योगय होगा।

(75) फर्म के संबंध में निविदा प्रत्येक समझदार या मेम्बर के हस्ताक्षर होना चाहिए या उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए जिसके पक्ष में कानूनी पावर ऑफ अटॉर्नी फर्म के अन्य साझेदार/मेम्बर द्वारा किया गया हो। पावार ऑफ अटॉर्नी की प्रतिलिपि राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए एवं निविदा के साथ संलग्न होना चाहिए।

(76) ठेकेदार अपना सही व पूरा पता निविदा में लिखेगा एवं सभी पत्रों को प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। यदि पंजीकृत पत्र बिना किसी पावती के वापस आ जाते है तो यह ठेकेदार के स्वयं की जिम्मेवारी होगी एवं ठेकेदार इन पत्रों में लिखे कथनों के अनुसार कार्यवाही करने को बाध्य होगा।

(77) निविदओं को खुला रखने की अवधिः–

निविदा स्वीकृत करने के लिए 90 दिन तक खुला रखा जावेगा जो निर्दिष्ट दिनांक से इसके जमा करने की तारीख को छोड़कर होगा।

(78) वर्गीकृत कागजातों की सुरक्षाः–

ठेकेदार मुख्य अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कोई भी वर्गीकृत जानकारी उपठेकेदार या अन्य व्यक्ति को नहीं देगा, ठेकेदार चित्रों, ड्राइंग व अन्य कागजातों की नकल नहीं कर सकेगा, जो कार्य से संबंधित है, ठेकेदारी की उपकिराएदारी की अनुमति नहीं होगी।

(79) ठेकेदार को भारी वर्षा, या प्राकृतिक आपदा के कारण कार्य के निष्पादन के दौरान कोई नुकसान होता है तो उसका भुगतान ठेकेदार को नहीं किया जावेगा, इस बारे में कोई दावा ग्रहण नहीं किया जावेगा।

(80) ठेकेदार कोई भी आईटम के निष्पादन करने को बाध्य रहेगा। जिसे निविदा कागजातों में नहीं दर्शाया है और जो साईट पर आवश्यकतानुसार जरूरी है और इसका भुगतान एम.ई.एस एस.एस.आर. 2010 के अनुसार किया जावेगा।

(81) अन्य एजेन्सीयों से समन्वयः–

वहां अनय एजेंसी या विभाग भी रहेगें जो भवन निर्माण, रोड, भीतरी बिजली का कार्य उसी साईट पर करेंगें। ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि वह इन एजेन्सीयों के साथ निकट सहयोग से कार्य करेगें व सुविधाऐं उपलब्ध कराएगा, जिससे भी कार्यो को सुचारू रूप से चलाया जा सकें, और इन सभी कारको के लिए ठेकेदार द्वारा दर्शाए गए रेटों में जोड़ा माना जाएगा।

वर्क रजिस्टर ठेकेदार की सुरक्षित संरक्षण में साईट पर कार्य की प्रगति के दौरान रखा जाएगा।

(82) कार्य के निष्पादन के दौरान यदि मौजूद निर्माण का कोई नुकसान होता है तो ठेकेदार उसे सही करेगा एवं साइट की सफाई करवाएगा। परिहार, पुनः स्थापना सही

कराएगा जो कार्य की पुष्टि करेगा कि यह मौजूदा कार्य से मिलान करता है, किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर मामला परिषद को भेजा जावेगा और परिषद का फैसला अंतिम एवं वाध्य रहेगा।

(83) कार्य के घंटेः–

ठेकेदार साधारण काम के समय में कार्य करवाएगा जिसे उस एरिया को नियंत्रित करने वाला अधिकारी देखेगा। यदि ठेकदार कार्यालीन घंटो छुट्टी के दिन कार्य करवाना चाहता हे तो वह उसकी पहले मुख्य अधिशासी अधिकारी से अनुमति लेगा, यदि अनुमति दे दी जाती है तो जो अधिक कीमत होगी वह विभाग द्वारा मान्य होगी।

(84) साईट की सफाईः–

कार्य पूर्ण हो जाने पर ठेकदार शीघ्र ही अपने उपकरणों, सामग्री व प्लान्ट्स व औजार हटा लेगा, व साईट को साफ सुथरा कर छावनी परिषदको सौपेंगा।

(85) उपकरण, सामग्री, प्लान्स एवं स्टोर्स की नुकसानीः–

उपकरण, सामग्री प्लान्ट्स तथा स्टोर्स की नुकसानी के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं रहेगा।

(86) नाप दर्ज करनाः–

अभियांत्रकी प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य के नाप को नाप किताब में दर्ज कर लिया गया है, नाप अभियांत्रकी प्रभारी तथा ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित होगें एवं उसके कुछ हिस्से को मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा चैक किया जावेगा, भुगतान नाप के आधार पर होगा।

(87) कार्य प्रारंभ करने की तारीख एवं समापन का समयः–

(i) कार्य प्रारंभ करने की तारीख से (वर्क आर्डर जारी करने की तारीख से) ठेकेदार द्वारा कार्य 15 दिवस की अवधि में प्रारंभ न किए जाने की स्थिति में मुख्य अधिशासी अधिकारी रू. 1000/– प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना प्रथम सप्ताह में आरोपित करने के लिए स्वतंत्र रहेगा और बाद में 1500/– प्रतिदिन के हिसाब से जब तक कि कार्य प्रारंभ नहीं हो जाता। विलम्ब का कारण संतोषप्रद न होने की दशा में मुख्य अधिशासी अधिकारी/परिषद हर्जाना लगा सकेगा, जिसे ठेकेदार को पालन करना हेागा। मुख्य अधिशासी अधिकारी, कार्यादेश को निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, यदि कार्य कार्यादेश जारी करने की तारीख से 45 दिवस के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करता और यह मामला परिषद के समक्ष ठेकेदार के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही करने के लिए रखा जावेगा। कार्यादेश को निरस्त करना छावनी परिषद द्वारा पंजीकरण को निरस्त किये जाना लीड करता है।

(ii) ठेके के अंतर्गत समस्त कार्य संबंधित कार्यो के साथ विनिर्देशित समय जो कार्यादेश में दर्शाया है, उसके अंदर पूर्ण हो जाना चाहिए। समस्त कार्य के लिए साइट मय कार्यादेश के एक साथ सौपी जावेगी।

(88) कार्य की साईट्सः–

कार्य उन स्थानों पर किया जावेगा जैसा कि साइट प्लान में दर्शाया है, परिषद/मुख्य अधिशासी अधिकारी ले–आऊट में बहुत थोड़े बदलाव के लिए आदेश कर सकेंगे, जिसके लिए कोई समायोजन नहीं किया जावेगा।

(89) कार्य करने का तरीका एम.ई.एस एस.एस.आर. 2010 शेड्यूल में उल्लेखित है, अन्यथा इस कागजातों में विर्निदेषित हों।

(90) यह माना जावेगा कि यूनिट रेट एवं राशि जो निविदादाता ने टेंडर में दर्शाया है वह ठेके की सामान्य शर्तो में उल्लेखित तरीके से गणना करते हुए दर्शाई गई है। यह माना जावेगा कि टेंडर में दर्शाई गई राशि में कुल अंतिम तथा समस्त कार्य को पूर्ण करने की राशि जुड़ी है, रेट में किसी भी सत्यता गलतफहमी की गलती या कोई अन्य जानकारी विभाग द्वारा जोडे जाने के लिए ठेकेदार कोई दावा नहीं करेगा।

(91) जब तक कि कार्य के सभी सामान का उल्लेख जो सामान मजदूर उपकरण को जोडा जाने के लिए किया जाता है।

(92) निविदा रेट में यह माना जावेगा कि इसमें सभी सामान, संचालित प्रक्रिया, विशेष आवश्यकता को जोड़ा गया है तथा इसके लिए ठेकेदार अतिरिक्त भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा।

(93) यद्यपि एस्टीमेट एक गारंटी नहीं है और केवल ऊपरी प्रारूप है, यदि कार्य की कीमत कम या बढ़ती है तो ठेकेदार का इस बारे में कोई दावा नहीं होगा।

(94) **कम्प्यूटरिकृत नाप किताबः–**

इंजीनियरिंग इंचार्ज द्वारा ठेके के अनुसार किए गए कार्य की कीमत, निर्धारित किए गए तरीके से नाप कर, निकाली जावेगी। सभी कीमती सामग्री के नाप, ठेकेदार द्वारा कम्प्यूटराईज्ड मेजरमेंट बुक में जो ए–4 नाप की विभाग द्वारा बताए गए फारमेट में दर्ज की जावेगी, जिससे समस्त सामग्री जो कार्य में लगा है उसका रिकार्ड प्राप्त हो सकें।

सभी नाप एवं कार्य का स्तर जो समय समय पर कार्य की प्रगति के समय ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिये गये है, वे इंजीनियर इंचार्ज या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जांचे जावेगें। इंजीनियरिंग इन चीफ द्वारा किए गए आवश्यक सुधार के उपरांत मेजरमेंट शीटस, ठेकेदार के पास सुधार शामिल करने के लिए वापस भेजी जावेगी तथा इंजीनियरिंग इन चार्ज उसे पुनः प्रस्तुत करेगा, जिस पर दिनांक के साथ उनके हस्ताक्षर होगें तथा ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि दिनांक के साथ इस आश्य के हस्ताक्षर होगें कि इसमें उनकी सहमति ले ली गई है।

जब बिल भुगतान हेतु तैयार किया जाता है तो ठेकेदार पहले ड्राफ्ट कम्प्यूटराईज्ड मेजरमेंट शीट व ये नाप की जांच इंजीनियरिंग इनचार्ज या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कराएगा। उसके बाद, ठेकेदार द्वारा इन मुख्य सुधारों को जो चेकिंग के दौरान किए गए है को उनके ड्राफ्ट कम्प्यूटराईज्ड नापों में शामिल किया जावेगा तथा विभाग को कम्प्यूटराइज्ड मेजरमेंट बुक जो जिल्दबंद होगी तथा उसके पेजों को मशीन द्वारा अंकित करते हुए, विभाग को प्रस्तुत किया जावेगा। इसके बाद इंजीनियरिंग इन चार्ज या उसका अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इस एम.बी. की जांच की जावेगी तथा उसको चैक टेस्ट के आवश्यक प्रमाण पत्रों को दर्ज किया जावेगा।

अंतिम व सही कम्प्यूटराईज्ड मेजरमेंट बुक जो जिल्दबंद होगी तथा उसके पेजों को मशीन द्वारा अंकित किया गया है वह 100% सही होना चाहिए तथा कोई भी कटिंग एवं अभिलेखन मेजरमेंट बुक में करने की अनुमति नहीं होगी। यदि इन सब के बाद कोई गलती का पता चलता है तो ठेकेदार जिल्दबंद तथा मशीन द्वारा पेज नंबर अंकित नई मेजरमेंट बुक तैयार कर जमा करेगा तथा पहले की मेजरमेंट बुक को विभाग द्वारा निरसत किया जावेगा।

इसके बाद मेजरमेंट बुक इंजीनियरिंग विभाग के रिकार्ड में ली जावेगी और बिल इंजीनियरिग विभाग/लेखा विभाग में भुगतान हेतु प्रस्तुत होगी। ठेकेदार इन कम्प्यूटराईज्ड एम.बी. की दो अतिरिक्त प्रतियां विभाग के विभिन्न अधिकारियों के रिकार्ड एवं संदर्भ के अभिप्राय के लिए जमा करेगा।

ठेकेदार द्वारा विभाग को अलग से कीमत का कम्प्यूटराईज्ड साट इन मेजरमेंट के आधार पर बनाए गए बिल तथा बिलों की अलग से दो प्रतियों को जमा किया जाएगा। इसके बाद इस बिल पर उपयंत्री विभाग तथा लेखा विभाग द्वारा कयवाही की जावेगी एवं कम्प्यूटराईज्ड रिकार्ड के अनुसार नंबर आवंटित किया जावेगा।

ठेकेदार बिना अतिरिक्त चार्ज के अभियांत्रकी प्रभारी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मेजरमेंट की जांच करने हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा।

जहां कार्य के विस्तृत विवरण स्पष्ट रूप से विरोधी दर्शाते हैं तो नाप विनिर्देशनों में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार मानक या स्थानीय सुरक्षा के अनुसार नाप किए जावेगें। वे आईटम से जो विनिर्देशित के तहत नहीं आते है तो उनका नाप संबंधित मानक तरीके से जैसा कि कार्यालय के भारतीय मानकों में जारी किए है के अनुसार लिए जावेंगे एवं यदि किसी आईटम के मय मानक उलब्ध नहीं है तो आपसी स्वीकृत तरीका अपनाया जावेगा।

ठेकेदार इंजीनियरिंग इनचार्ज या उसके प्रतिनिधि को इस आशय का नोटिस देगा जो 07 दिन से कम की अवधि का नहीं होगा कि वह छिपाए गए या नाप किए जाने की पहुंच से परे बाहर के कार्यो का नाप कराए एवं वहां के सही आयाम लेवें। इंजीनियरिंग इनचीफ या उसका प्रतिनिधि 07 दिन के अन्दर कार्य की जांच करेगा और यदि कोई भी छिपाया गया और जांच की पहुंच के बाहर पाए गए तो ये इन कार्यो का पर्दाफाश ठेकेदार के हर्जे खर्चे पर करेगा या वहां कोई दोष पाये जाने पर कोई भी भुगतान उस कार्य या सामान का नहीं किया जावेगा, जिसे प्रतिपादित किया गया है।

इंजीनियरिंग इनचार्ज या अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं या विभाग के किसी अधिकारी द्वारा उन नापों की जांच करवा सकेगा जो ठेकेदार द्वारा लिया गया हो।

यह भी अनुबंध की एक शर्त होगी की कार्य के किसी भी आईटम के नाप की जांच मेजरमेंट बुक में अंतिम भुगतान के लिए निर्णायक गवाही के रूप में नहीं लिया जावेगा, जहां तक किसी कार्य या समान की प्रचुरता का प्रश्न है और ठेकेदार को अधिक नाप या कार्य में दोष पाये जाने पर उसे दायित्व की अवधि में पूर्ण करने से छोड़ा नहीं जा सकेगा।

ई. कंपनी/एजेन्सी जो जानकारियां (निविदादाता द्वारा भरी है) वे सूची–II के रूप में संलग्न है एवं वचन सूची–I के रूप में जमा करना है।

एफ. **<u>वित्तीय बिडः–</u>**

वित्तीय बिड पार्ट–सी के अनुसार अपलोड की है।

जी. **<u>मध्यस्थता के लिए माँगः–</u>**

1. पार्टीस के बीच कोई विवद या मतभेद जो इस ठेके के प्रतिपादिन या व्याख्या करने, या किसी मुद्दे पर अधिकार उत्तरदायित्व के बारे में उत्पन्न होने पर पार्टीस लिखित में यह मांग कर सकेगी कि विवाद या मतभेदों को मध्यस्थता के लिए भेजा जावे।

2. माँग में यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस विषय में विवाद या भिन्नता है, इसी प्रकार आईटम अनुसार राशि के दावों में भिन्नता है, केवल वे विवाद और भिन्नतायें जिनके संबंध में दावे किए गए है, प्रतिदावों व सेअ के साथ मध्यस्थता के लिए भेजे जावेंगे। इस संदर्भ में अन्य विषयों को नहीं जोडा जावेगा।

3. (i) मध्यस्तता के लिए लिखित एवं वैध दावे जिस दिन छावनी द्वारा प्राप्त होगें उसी दिन से मध्यस्तता कार्यवाही को चालू होना माना जावेगा।

3. (ii) दावाकर्ता अपना दावा सत्यता के समर्थन में समस्त संबंधित कागजातो के एवं सहायता या मांगी गई राहत के जो प्रत्येक मांग के विरूद्ध चाहा गया है, वह पंचयती न्यायाधिकरण की नियुक्ति से 30 दिन की अवधि में जमा करेगा।

3. (iii) न्यायाधिकरण में 60 दिन के अंदर कोई बचाव कथन एवं प्रतिदावा किसी अन्य पार्टी की ओर से प्राप्त होता है तो सुना जावेगा जब तक कि नयायाधिकरण अगली सुनवाई के लिए बढ़ा नहीं देता।

4. कार्यवाही के दौरान कोई भी नया दावा नहीं जोड़ा जावेगा कि जब तक पार्टी द्वारा कोई दोवे में सुधार या जोड किया जाता है।

5. कोई भी अधिकारी को अध्यक्ष छावनी परिषद द्वारा उनकी तरफ से पंचायती न्यायाधिकरण में एकमात्र पंच के रूप में नामांकित किया जावेगा।

एच. <u>विशेष शर्तेः–</u>

1. ठेकेदार बांछित सामान को खरीदकर साईट पर इकट्ठा करेगा।

2. अभियांत्रकी प्रभारी/मुख्य अधिशासी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भी सामान का उपयोग नहीं कर सकेगा।

3. ठेकेदार साइट पर सामान की जाँच के समय समस्त सहायता एवं उपकरण उपलब्ध कराऐगा। यदि सामान की जांच आई.जी.ई.सी. सागर या किसी अन्य एजेन्सी द्वारा कराई गई तो उसका भुगतान ठेकेदार के बिल से काटा जावेगा।

4. ठेकेदार छावनी परिषद की मौजूदा वॉटर सप्लाई सिस्टम या अन्य संपत्ति की नुकसानी तथा किसी घटना तथा अनर्थ के लिए जिम्मेवार रहेगा एवं छावनी क्षेत्र में कार्य करते समय किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के नुकसान को सही करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, यदि ठेकेदार सम्पत्ति के नुकसान को पूर्ववत नहीं करता है तो छावनी परिषद उस नुकसान को सही कराएगा एवं उसमें जो भी खर्चा होगा वह ठेकेदार के बिल से काटा जावेगा। इस संबंध में ठेकेदार का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

5. ठेकेदार द्वारा जो भी निर्माण कार्य किए जावेंगे उनकी ड्राइंग, डिजाईन एवं एस्टीमेट मय तकनीकि जांच के एवं स्वयं के व्यय पर इस कार्यालय में जमा करने होगें, उसके उपरांत ही ठेकेदार को कार्य करने की अनुमति दी जावेगी।

6. मात्रा किसी भी हद तक बढ़ या कम हो सकती है और जिसके लिए ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा तथा ठेकेदार उन समस्त टेक्सों का भुगतान करेगा जो शासन द्वारा मांगा जावेगा।

7. सशर्ते निविदा स्वीकृत नहीं होगी और यदि यही निविदा निम्न पाई गई तो जमा अमानत राशि को जप्त कर लिया जावेगा।

8. ठेकेदार पानी व बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।

9. ठेकेदार को नियमानुसार प्रतिमाह ई.पी.एफ, ई.एस.आई एवं जी.एस.टी. के चालान के भुगतान की प्रतिलिपि इस कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगी, अन्यथा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

10. ठेकेदार द्वारा डाले गए रेट/दर कार्य के अनुसार मार्केट रेट से बहुत ही कम अथवा बहुत ही ज्यादा होने पर उनकी निविदा को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार मुख्य अधिशासी अधिकारी के पास सुरक्षित है।

सही/–
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, सागर

अनुलग्नक–1

फर्म/एजेन्सी द्वारा वचनपत्र

समक्ष

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, सागर

मैं ..... (फर्म या एजेन्सी का नाम) ..... की ओर से एतदद्वारा घोषित करता हूँ कि नैतिक, अधमता या प्रभावित नियम के उलंघन के संबंध में कोई कानूनी वाद/अपराधिक मामला बाकी या चिंतन में नहीं था, न हीं कोई कानूनी नोटिस एजेन्सी के मालिक या उसके कोई निर्देशक के विरूद्ध लंबित नहीं है।

मैं ..... (फर्म या एजेन्सी का नाम) ..... की ओर से एतदद्वारा घोषित करता हूँ कि हमारा संगठन या कर्मचारियों का जो कार्य के लिए उलब्ध कराए जा रहे है, उनका छावनी परिषदके कर्मचारियों से या परिषदसे किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है।

मैं ..... (फर्म या एजेन्सी का नाम) ..... की ओर से एतदद्वारा वचन देता हूँ कि, समस्त वैधानिक आवश्यकताओं का पालन किया जावेगा।

मैं ..... (फर्म या एजेन्सी का नाम) ..... की ओर से समझा कि उपरोक्त वचन पत्र गलत पाया गया तो वर्तमान व्यवस्था भंग कर दी जावेगी एवं ..... (फर्म या एजेन्सी का नाम) को परिषदद्वारा आगे के किसी भी अनुबंध करने से बंचित कर दिया जावेगा।

अधिकारित हस्ताक्षरकर्ता .....
नाम.....
दिनांक..... पद.....

नोटः– ठेकेदार यह प्रारूप को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर रू. 1000/– पर हलफनामा के रूप में टाईप कराएगा।

अनुलग्नक–2

कंपनी / एजेन्सी / जानकारी / वर्णन

बोलीदाता / ठेकेदार को निम्नलिखित जानकारियां भरना चाहिए।

अ	कंपनी / एजेन्सी / फर्म का नाम	
ब	मालिकों / निदेशकों के नाम	
स	फर्म का पंजीकृत पता	
द	ई–मेल आई.डी	
ई	संपर्क करने वाले व्यक्ति का टेलीफोन / मोबाईल नं.	
एफ	बैंक का नाम (पूरा पता सहित)	
जी	बैक खाता संख्या	
एच	टिन नं. / विक्रय कर नं.	
आई	पैन कार्ड नं.	
जे	जी.एस.टी. नं.	

अधिकारित हस्ताक्षरकर्ता .....

नाम.....

दिनांक.....

पद.....

भाग–''ब''

तकनीकी बोली

कार्य का नामः– **छावनी क्षेत्र में नाला मरम्मत का कार्य।**

महोदय,

निविदा सूचना के अनुसार मैं/हम निम्नानुसार मांगे गए कागजात करता हूँ।

क्रं.	कागजातों के नाम	अनुलग्नक क्रमांक	क्या संलग्न है या नहीं
1.	निविदा की कीमत रू. 2500/– की RTGS/NEFT की लेनदेन रसीद की प्रतिलिपि।	अनुलग्नक–1	
2.	अमानत राशि रू. 50,000/– की RTGS/NEFT की लेनदेन रसीद की प्रतिलिपि।	अनुलग्नक–2	
3.	पैन कार्ड की प्रतिलिपि।	अनुलग्नक–3	
4.	EPF पंजीयन की प्रतिलिपि यदि नियमानुसार लागू हो तो।	अनुलग्नक–4	
5.	ESIC पंजीयन की प्रतिलिपि यदि नियमानुसार लागू हो तो।	अनुलग्नक–5	
6.	श्रम लाइसेंस की प्रतिलिपि यदि नियमानुसार लागू हो तो।	अनुलग्नक–6	
7.	इनकम टेक्स रिटर्न पिछले तीन वर्षो की (2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) प्रतिलिपि।	अनुलग्नक–7	
8.	CPWD, PWD, MES, रेलवे, नगरपालिका परिषर्द, जल निगम, जल संसाधन, छावनी परिषद या कोई शासकीय विभाग (केन्द्र/राज्य) आदि से पंजीकरण प्रमाण–पत्र।	अनुलग्नक–8	
9.	जी.एस.टी. का पंजीकरण।	अनुलग्नक–9	
10.	यदि कागजात अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित है, तो मुखतारी अधिकार पत्र।	अनुलग्नक–10	
11.	रूपये 1000/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हलफनामा एजेन्सी द्वारा वचन पत्र देते हुए अनुलग्नक (1) के अनुसार।	अनुलग्नक–11	
12.	अनुलग्नक (2) के अनुसार कंपनी/एजेन्सी के फर्म की जानकारी।	अनुलग्नक–12	
13.	मशीनरी आदि जो स्वयं की या किराए की हो उसकी सूची।	अनुलग्नक–13	

क्रं.	कागजातों के नाम	अनुलग्नक क्रमांक	क्या संलग्न है या नहीं
14.	पूर्ण किए गए कार्यो की सूची संगठन जिसके लिए निस्पादित किए ठेके की अनुमानित राशि आदेश की तारीख तथा सिविल कार्यो को पूर्ण करने की तारीख एवं विभाग द्वारा प्रदर्शन रिपोर्ट (अनुभव प्रमाण पत्र जो कि कार्यपालन यंत्री या समकक्ष अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है)।	अनुलग्नक–14	
15.	जो कार्य चल रहे है उनका विवरण, ठेके की कीमत एवं सिविल कार्य के लिए बाकी का कार्य।	अनुलग्नक–15	
16.	निविदा खोलने के लिए कम से कम पात्रता मापदंड से संबंधित कागजात जो पेज नं. 08 पैरा नं. 17 पर दर्शित है।	अनुलग्नक–16	
17.	निविदादाता पिछले 03 वर्षो का औसत कारोबार कार्य के अनुमानित कीमत की 30% के बराबर होना चाहिए।	अनुलग्नक–17	
18.	निविदादाता को इस आशय का हलफनामा देना होगा कि, उसे किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संगठन निगम द्वारा बोली जमा करने के दिन प्रतिबंधित या काली सूची में नहीं दर्शाया गया है।	अनुलग्नक–18	
19.	अन्य विभागों या एजेन्सी जैसे कि बैंक बगैरह में देनदारी के संबंध में हल्फनामा।	अनुलग्नक–19	

ठेकेदार की सील सहित हस्ताक्षर
ठेकेदार का नाम व पता
.....
.....
दिनांक.....

सही/–
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, सागर

सूची–ब

ठेके की पात्रता का क्षेत्रफल

छावनी परिषद सागर की संपत्ति निम्नलिखित मरम्मत के कार्य के लिए ठेकेदार प्रतिबंधित रहेगा, जब तक स्पष्ट निर्देश छावनी परिषद/मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा नहीं हो जाते।

छावनी क्षेत्र में नाला मरम्मत का कार्य।

उपरोक्तानुसार निर्देशित छावनी क्षेत्र की सीमा के बाहर किसी कार्य के संपादन के लिए वर्क आर्डर नहीं दिया जावेगा। कार्य के नक्शा, चित्र, जैसे ही अनुमानित राशि का अनुमोदन परिषदद्वारा हो जाता है तो छावनी परिषदकार्यालय में कार्यालीन समय में देखा जा सकता है।

सही/–
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, सागर

सूची–स

———————————— निरंक ————————————

सही/–
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, सागर